

कार्यालय संचालक

संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक-2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

(Telephone-0771-2511974, email- dirfood.cg@gov.in, website- www.fcs.cg.gov.in)

क्रमांक 25 / संचा.-वि.स. / 2026

नवा रायपुर, दिनांक 30/6 / 2026

प्रति,

1. प्रबंध संचालक,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
अटल नगर, नवा रायपुर
2. प्रबंध संचालक,
राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,
अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़
3. महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- विधानसभा प्रश्न क्रमांक 962 अतारांकित द्वारा श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 962 अतारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिफांन्ट फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिफांन्ट फॉन्ट' में) दिनांक 02.07.2026 तक ई-मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाइट से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

नवा रायपुर, दिनांक 30/6 / 2026

पृ.क्रमांक 26 / संचा.-वि.स. / 2026

प्रतिलिपि :-

समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : 10/07/2026

वर्ग : 5 सदन में उत्तर देने का दिनांक : 17/07/2026 विभाग का नाम : खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

विषय : केन्द्रीय तथा राज्य पूल में चावल का परिदान

(अतारांकित प्रश्न क्रमांक : 962) श्रीमतीशेषराज हरवंश

क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान से निर्मित चावल की वर्षवार कितनी-कितनी मात्रा का परिदान केन्द्रीय पूल तथा राज्य पूल में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि में किया जाना था तथा कितनी-कितनी मात्रा में किया गया? (ख) क्या खरीफ विपणन वर्ष 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 में एफ.सी.आई. के गोदामों में स्थानाभाव के कारण केन्द्रीय पूल में चावल का परिदान करने में विलम्ब हुआ है तथा विलम्ब के कारण विपणन संघ पर ब्याज का अधिक भार पड़ा? यदि हां तो अधिक भार की राशि कितनी-कितनी होती है? क्या इसकी पूर्ति केंद्र सरकार करेगी? (ग) क्या एफ.सी.आई. के गोदामों की क्षमता आवश्यकता से कम है? इस समस्या के निराकरण हेतु क्या-क्या प्रयास किये गये?

उत्तर :

समस्त क्लेक्टेड
माकिफे (नान) FCI